राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ 7 (100) (71) परि/नियम/मु0/2012/III 4646   जयपुर, दिनांक : 4/2/12

अधिसूचना

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 67 की उप–धारा (1) (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त उप–धारा के खण्ड़ (क) से (घ) तक की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार, राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, जयपुर को एतद् द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी करती है, अर्थात् :–

यतः राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण अनन्य रूप से जयपुर नगरीय क्षेत्र के भीतर प्री–पेड टैक्सी बूथ से संचालित होने वाली टैक्सी कैब के भाड़े की दरों का निर्धारण करना आवश्यक हो गया है।

अतः अब राज्य सरकार यह निर्देश देती है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, जयपुर, अनन्यतः जयपुर नगरीय क्षेत्र में प्री–पेड टैक्सी बूथ से संचालित होने वाली टैक्सी कैब का अधिकतम भाड़ा तुरन्त प्रभाव से निम्न प्रकार से नियत करेगी :–

क्र. सं.	मार्ग की दूरी	भाड़ा रूपये में	
		चालक सहित 5 बैठक क्षमता तक की टैक्सी कैब हेतु	चालक सहित 5 से अधिक बैठक क्षमता वाली टैक्सी कैब हेतु
1	1 किमी तक	50	70
2	1 किमी से अधिक किन्तु 2 किमी तक	70	100
3	2 किमी से अधिक किन्तु 4 किमी तक	100	130
4	4 किमी से अधिक किन्तु 6 किमी तक	145	180
5	6 किमी से अधिक किन्तु 8 किमी तक	175	220
6	8 किमी से अधिक किन्तु 10 किमी तक	205	260
7	10 किमी से अधिक किन्तु 12 किमी तक	240	300
8	12 किमी से अधिक किन्तु 14 किमी तक	270	340
9	14 किमी से अधिक किन्तु 16 किमी तक	300	350
10	16 किमी से अधिक किन्तु 20 किमी तक	365	450
11	**दर्शनीय स्थल :–** बिडला मंदिर, म्यूजियम, चिडिया घर, हवा महल, सिटी पैलेस, जन्तर मंतर, गैटोर छतरियां, जल महल, कनक गार्डन, आमेर किला।	500	700

102
Comp 6/7.12

नोट :–

1. वातानुकूलित वाहनों के लिए उपरोक्त दरों के अतिरिक्त 25 प्रतिशत राशि पृथक से देय होगी।
2. रात्रि 10 पी.एम. से प्रातः 5:30 ए.एम. तक हेतु 25 प्रतिशत किराया राशि अतिरिक्त देय होगी।
3. वेटिंग चार्ज 20/– रूपये प्रति घंटा या उसके भाग के लिए देय होगा।
4. प्रति व्यक्ति 10 कि.ग्रा. तक का 1 नग, लगेज शुल्क से मुक्त होगा। अतिरिक्त भार या नग के लिए 10/– रूपये प्रति नग लगेज शुल्क पृथक से देय होगा।
5. किसी भी दर्शनीय स्थल या अन्य स्थल पर वाहन का प्रवेश शुल्क या पार्किंग शुल्क यदि लागू है, तो पृथक से देय होगा।

राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र सोनी)
उप शासन सचिव (मु0)